उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 716 /VII-1/2018/234–ख/14
देहरादून : दिनांकः 6 अप्रैल, 2018

(81)

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1659/VII-I/234–ख/2014, दिनांक 9 जनवरी, 2015 द्वारा श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री कुशाल सिंह नेगी, निवासी ऊखीमठ, तहसील ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के पक्ष में जनपद रूद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के ग्राम जलई (भीरी) के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.647 है० नाप भूमि में तत्समय पर्वतीय क्षेत्र हेतु प्रचलित स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के अन्तर्गत 200 टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–I के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 901/खनन/स्टो०क्रे०–विनि०/रूद्र०/भू०खनि०ई०/ 2017–18, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन क्रेशर की क्षमता 20 टन प्रति घंटा निर्धारित कर तद्नुसार संबंधित स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण करते हुए उक्त नीति के अध्याय–III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का 05 वर्ष की अवधि हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीनीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय–III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अग्रेत्तर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 उंची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचांई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचांई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उर्त्सजन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो ।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेड के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल–दाब बना रहे।
16. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जायेगी। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
18. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
19. स्टोन क्रेशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर स्वामी को स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः– 716 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री कुशाल सिंह नेगी, निवासी ऊखीमठ, तहसील ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव